परिपत्र संख्या 611 दिनांक 10.12.2018

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक लेखा, केन्द्रीय कार्यालय सी–7, दूसरी मंजिल, बान्द्रा कुर्ला परिसर, पो.बा.नं.8143, बांद्रा ईस्ट मुम्बई –51
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त महाप्रबंधक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई बैंक।
4. समस्त प्रबंधक, केन्द्रीय पेंशन प्रकीर्णन केन्द्र।
5. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडीगढ ।
6. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
7. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
8. अभिलेख कार्यालय.................................।
9. वेतन लेखा कार्यालय...............................।

विषयः वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों/जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों/अन्य श्रेणी के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों से संबंधित पेंशन का पुनरीक्षण।

संदर्भः इस कार्यालय का दिनांक 20.10.2017 का परिपत्र सं. 588, दिनांक 06.11.2017 का परिपत्र 590, 25.01.2018 का परिपत्र सं. 595 व दिनांक 24.09.2018 का परिपत्र सं. 606 ।

कृपया इस कार्यालय के उपरिलिखित परिपत्रों का संदर्भ देखे जिसके अधीन नई पे.भु.आ. श्रृखला एवं ई–पी.पी.ओ. के कार्यान्वयन से संबंधित निदेश जारी किये गये है।

2. सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक से संबंधित ई–पी.पी.ओ. के अग्रेषण की प्रकिया उपरिलिखित परिपत्रों में दी गई है । ई–पी.पी.ओ. को जारी करने के नई प्रक्रिया के अन्तर्गत एस.एफ.टी.पी. मोड के द्वारा संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारियों तथा अभिलेख कार्यालय एवं सेना मुख्यालय (कमीशन्ड प्राप्त अधिकारियों के मामले में) को सीधे ही उक्त ई–पी.पी.ओ. भेजे जा रहें हैं।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनर/परिवार पेंशनर की पहचान पेंशन के प्रथम भुगतान के समय ही कर ली जाती है। अतः संबंधित अभिलेख कार्यालयों से अनुरोध है कि वे कोर ई–पी.पी.ओ. की हार्ड कॉपी बैंकों एवं रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों को न भेजे। बैंकों एवं रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों से निवेदन है कि एस.एफ.टी.पी. मोड के अधीन प्राप्त कोर ई–पी.पी.ओ. पर बिना अभिलेख कार्यालय / सेना मुख्यालय से पुष्टि किये कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

3. यह भी संज्ञान में आया है कि कई अभिलेख कार्यालय वर्णनात्मक सूची का प्रेषण पेंशनर से संबंधित बैंक शाखा में कर रहे है जबकि उन्हे इस सूची को संबंधित भुगतान शाखा में भेजने के बजाय पेंशनर से संबंधित केन्द्रीय पेंशन प्रकिर्णन केन्द्र में भेजना चाहिए जिससे कि पेशंन के प्रथत भुगतान में लिम्लब न हो। अतः अभिलेख कार्यालयों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय के दिनांक 24.09.2018 के परिपत्र सं. 606 में यथा उल्लिखित तथ्यों के आधार पर ई–पी.पी.ओ. के साथ वर्णनात्मक सूची तथ प्रथम भुगतान से संबंधित वचन पत्र की प्रति पेंशनर के केन्द्रीय पेंशन प्रकीर्णन केन्द्र को अग्रेषित करे।

4. अन्य शर्ते व नियम अपरिवर्तित रहेंगी।

5 .यह परिपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट www.pcdapension.nic.in पर सभी संबंधित पक्षों के बीच प्रस्सरण के लिए उपलब्ध है ।

(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./7 वां के.वे.आ. /0181/Vol-VII
दिनांक 10.12.2018

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग– ए नई दिल्ली
3. पी.ओ. नई दिल्ली–11
4. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
5. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली –11।
6. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी–3, पश्चिमी खण्ड–6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
7. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा–2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी–10।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई –400039।
9. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
10. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड –5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली –66
11. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
12. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
13. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–10।
14. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
15. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
16. नाविक ब्यूरो, चित्ता कैम्प मुम्बई
17. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
18. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी. /एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड –3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली–66

19. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय :– जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों/अन्य श्रेणियों के कोर पी.पी.ओ. के संबंध में अभिलेख कार्यालयों से निवेदन है कि वे पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को कोर ई–पी.पी.ओ. की प्रति अग्रेषित न करें क्योंकि पेंशनर/परिवार पेंशनरों की पहचान पेंशन के प्रथम भुगतान के समय ही सूनिश्चित कर ली गई है। पुनः यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों एवं रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों के अलावा पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को पेंशन भुगतान आदेश के अग्रेषण की प्रक्रिया अपरिवर्ति रहेगी।
20. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
21. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
22. प्रभारी अधिकारी जी–1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा– अन्य श्रेणी (तक.) व जी–1 सिविल(तक.) ।
23. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
25. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
26. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
27. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
28. प्रभारी अधिकारी जी–2 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी जी–3 अनुभाग
30. प्रभारी अधिकारी जी–4 अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
32. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
33. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
34. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।
35. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
36. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
37. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)

वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)